न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2015/00144

1. नारायण आत्मज घांसी जाति मेघवाल ।
2. हीरालाल आत्मज घांसी जाति मेघवाल ।
3. कमला बाई पुत्री घांसी जाति मेघवाल ।
4. कल्याण आत्मज घांसी जाति मेघवाल ।
5. शोभाराम आत्मज घांसी जाति मेघवाल निवासीगण दुहनिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मांगू सिंह आत्मज बाल सिंह राजपूत ।
2. फूल बाई बेवा बाल सिंह जाति राजपूत ।
3. मोखम सिंह आयु 14 वर्ष नाबालिग पुत्र उदय सिंह ।
4. नन्दा बाई आयु 17 वर्ष नाबालिग पुत्री उदय सिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिये वलिया सरंक्षक माता भंवर कंवर पत्नी श्री उदय सिंह ।
5. भंवर कंवर आयु 35 वर्ष बेवा उदय सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम देहनिया हाल निवासी कुटक्या तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. छगन लाल आत्मज बद्रीलाल जाति धाकड निवासी सोहन खेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
7. सुरेश आत्मज प्रभू जाति मीणा निवासी दुहनिया ।
8. नरेश आत्मज प्रभू जाति मीणा निवासी दुहनिया ।
9. कमलेश आत्मज प्रभू जाति मीणा निवासी दुहनिया ।
10. रामचन्द्र आत्मज भंवर लाल जाति मीणा निवासी दुहनियॉ (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    10/1. राकेश आत्मज स्व0 रामचन्द्र जी ।
    10/2. मुकेश आत्मज स्व0 रामचन्द्र जी ।
    10/3. कैलाश बाई बेवा रामचन्द्र जी जाति मीणा निवासी दुहनियॉ तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
11. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पेश कर कथन किया कि ग्राम दुहनिया तहसील रामगंजमण्डी के खाता संख्या 53 में आराजी खसरा नम्बर 453 की 03 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थी कम 01 के पिता बालसिंह के नाम पर खाते में दर्ज थी जो सेटलमेंट के पश्चात् खाता संख्या 223 में खसरा नम्बर 531 रकबा 0.53 हैक्टर अप्रार्थी कम 01 के पिता के खाते दर्ज हुई । उक्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 5 के खाते में दर्ज है । उक्त भूमि पूर्व में धूल्या आत्मज रोड्या चमार निवासी दुहनिया के खाते में दर्ज थी जो प्रार्थीगण के दादा थे उनके फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 2088 से प्रार्थीगण के पिता घांसी व तुलसी के खाते दर्ज हुई । अवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति के खाते की भूमि अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति प्रभू व अप्रार्थी कम 10 के खाते दर्ज कर दी गई । तत्पश्चात् इंतकाल संख्या 193 दिनांक 11.07.1977 से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज होकर इंतकाल संख्या 222 से अवैधानिक रूप से विधि के विपरीत एस.सी. व एस.टी. की भूमि सवर्ण अप्रार्थी कम 01 के पिता बालसिंह के खाते दर्ज कर दी गई । उक्त भूमि पर पिछले 100 वर्ष से भी अधिक समय से प्रार्थीगण के पूर्वज काश्त करते चले आ रहे हैं । इसके अलावा कानूनी प्रावधानों के विपरीत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को एवं अनुसूचित जन जाति से सवर्ण के नाम खाते दर्ज कर दी । उक्त इन्द्राज प्रार्थीगण के विरूद्ध नल एण्ड वॉईड है । अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि अपने खाते होने का नाजायज फायदा उठाकर उसे अप्रार्थी कम 06 को अवैध रूप से विक्रय पत्र दिनांक 09.12.2013 के द्वारा बेचान कर दिया है । उक्त बेचान अवैध होने से नल एण्ड वॉईड है एवं प्रभावशून्य है । प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी उनके पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें न ही उक्त भूमि को कहीं दीगर जगह बेचान व खुर्द–बुर्द करे न ही राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करावे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 16.07.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.07.2015 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के दादा धूल्या के नाम दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि घांसी व तुलसी के नाम दर्ज हुई । इंतकाल संख्या 2088 से अवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति के खाते की भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति प्रभू व रामचन्द्र के नाम दर्ज हो गई जो कानूनी रूप से गलत था । इस कारण उक्त भूमि सिवायचक दर्ज हो गई । बाद में उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है अर्थात् सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज हुई है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में थां फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिए थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.07.2015 को विधि –विरूद्ध निर्णय पारित किया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 453 की 03 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के दादा धूल्या आत्मज रोड़्या चमार के नाम दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद घांसी व तुलसी के नाम दर्ज हुई तथा इंतकाल संख्या 2088 से अवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति के खाते की भूमि अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति प्रभू व रामचन्द्र के नाम दर्ज हो गयी जो कानूनी रूप से गलत है । इसके उपरान्त इंतकाल संख्या 193 से सिवायचक दर्ज हुई और उसके बाद प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 के पिता बालसिंह के नाम दर्ज हुई जो कि सवर्ण हैं । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्रार्थीगण अपीलान्ट का है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में है फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अत' अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया है । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2004–2024 है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 531 की रकबा 0.53 हैक्टर आराजी बालसिंह बेटा गुलाब सिंह के गैर खातेदारी में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 26 और नामान्तरकरण संख्या 355 का नोट अंकित है । फोटो प्रति भू–प्रबन्ध विभाग नकल जमाबन्दी संवत् 2004 से 2024 है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा

नम्बर 531 रकबा 0.53 हैक्टर भूमि बालसिंह बेटा गुलाब सिंह के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2032–2035 है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 453 की 03 बीघा 05 बिस्वा आराजी प्रभू और रामचन्द्र बेटा भंवर लाल के खाते में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 195 का नोट अंकित है जिसके अनुसार इस आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया है और नामान्तरकरण संख्या 222 का नोट अंकित है जिसके अनुसार यह आराजी बालसिंह को आवंटित हुई है । इसके अलावा फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2024–2027 है जिसके अनुसार कुल 03 किता की 04 बीघा 13 बिस्वा आराजी धूल्या वल्द रोडया के खाते में दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 453 की रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा भूमि भी शामिल है इसमें नामान्तरकरण संख्या 2028 का नोट अंकित है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी विक्रय के आधार पर प्रभू और रामचन्द्र के खाते में दर्ज हुई । फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 453 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 531 रकबा 0.53 हैक्टर कायम हुए हैं ।

10. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात संलग्न हैं उसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 453 की आराजी नामान्तरकरण संख्या 195 से दिनांक 11.07.1977 को सिवायचक दर्ज की गई थी और सिवायचक दर्ज होने के उपरान्त यह भूमि बालसिंह पुत्र गुलाब सिंह को आवंटित हुई है । हाल राजस्व रिकॉर्ड में यह आराजी बाल सिंह के वारिसान के खाते में दर्ज है । आराजी सिवायचक दर्ज होने जाने के उपरान्त आवंटन के आधार पर बालसिंह के खाते में दर्ज हुई है जिसके खातेदार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्टगण हैं । तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अपीलान्ट खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.11.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा